

राजस्थान सरकार
अभियोजन निदेशालय, राजस्थान, जयपुर


क्रमांक : स. 3(5)(5)स्था./राजपत्रित/अभि./16/13-72 जयपुर, दिनांक : 20 फरवरी, 2020

आदेश

निम्न सहायक अभियोजन/अभियोजन अधिकारीगण के स्थानान्तरण प्रशासनिक तौर पर लोकहित में तुरन्त प्रभाव से किये जाते हैं :-


क्र.सं.	नाम अधिकारी	कहाँ से	कहाँ को	वि०वि०
1.	श्री महावीर कुमार शर्मा अभियोजन अधिकारी	न्यायालय ए.सी.जे.एम.5 कोटा	न्यायालय ए.सी.जे.एम. अकलेरा जिला झालावाड	श्री यादव के स्थान पर
2.	श्री नेमीचन्द्र यादव अभियोजन अधिकारी	न्यायालय ए.सी.जे.एम. अकलेरा जिला झालावाड	न्यायालय ए.सी.जे.एम.5 कोटा	श्री महावीर शर्मा के स्थान पर
3.	श्रीमती प्रियंका चौहान स० अभियोजन अधिकारी	न्यायालय ए.सी.जे.(जेडी) जे. एम. नं०1, दक्षिण कोटा	न्यायालय सी.जे.(जेडी)जे.एम. अकलेरा, जिला झालावाड	श्री उमेश सिंह के स्थान पर
4.	श्री उमेश सिंह स० अभियोजन अधिकारी	न्यायालय सी.जे.(जेडी)जे.एम. अकलेरा, जिला झालावाड	न्यायालय ए.सी.जे.(जेडी) जे. एम. नं०1, दक्षिण कोटा	श्रीमती चौहान के स्थान पर

संबंधित सहायक निदेशक अभियोजन उपरोक्त अधिकारीगण की कार्यमुक्ति/कार्यग्रहण अविलम्ब कराकर पालना सुनिश्चित करें।


(एस.एन. व्यास)
निदेशक अभियोजन,
राजस्थान, जयपुर

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री महोदय।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह विभाग।
3. निजी सचिव विशिष्ट शासन सचिव, गृह (विधि), राजस्थान, जयपुर
4. अतिरिक्त निदेशक अभियोजन(जे)/ अतिरिक्त निदेशक अभियोजन(जे)
5. समस्त उप निदेशक/सहायक निदेशक अभियोजन, राजस्थान।
6. संबंधित अभियोजन अधिकारी, द्वारा सहायक निदेशक अभियोजन
7. संस्थापन शाखा (राजपत्रित)/विधि शाखा/गोपनीय शाखा/लेखा शाखा।
8. निजी/रक्षित पत्रावली।


निदेशक अभियोजन,
राजस्थान, जयपुर